भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *167
29.11.2019 को उत्तर के लिए

विषैली सामग्री से निर्मित मूर्तियों पर प्रतिबंध

*167. श्री श्रीधर कोटागिरीः

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेन्ट तथा अन्य सिंथेटिक्स से निर्मित गणेश मूर्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) उपरोक्त विषैली सामग्रियों का प्रयोग करके गणेश मूर्तियां बनाना बंद करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या सरकार ने इस संदर्भ में तकनीकी संस्थानों से संपर्क किया है कि वे स्थानीय तौर पर उपलब्ध ऐसी सामग्री पर आधरित कोई समाधान लाएं जो जैव अवक्रमणीय हो, पन्द्रह दिनों तक चल सके, एक से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके, लंबी ऊँचाई को सहने की क्षमता युक्त ऊर्ध्वाधर रूप से स्थिर हो तथा मछलियों के भोजन के रूप में भी उपयोग हो सके; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

<u>उत्तर</u>

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*****

''विषैली सामग्री से निर्मित मूर्तियों पर प्रतिबंध'' के संबंध में दिनांक 29.11.2019 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *167 के भाग (क), (ख), (ग) और (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने वर्ष 2010 में ''मूर्ति विसर्जन हेतु दिशानिर्देश'' शीर्षक से दिशानिर्देश जारी किए जो विषैले पेंट और नॉन-बायोडिग्रेडेबल रासायनिक रंगों के प्रयोग को प्रतिबंधित और मूर्ति बनाने के लिए पारम्परिक मिट्टी के प्रयोग को प्रोत्साहित करते हैं। सीपीसीबी द्वारा सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को ये दिशानिर्देश परिचालित किए गए थे ताकि इनका कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। इन दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं:

i. मूर्तियों को पवित्र ग्रंथों में यथावर्णित प्राकृतिक सामग्रियों से बनाया जाना चाहिए। मूर्ति बनाने के लिए पकी हुई मिट्टी, प्लास्टर ऑफ पेरिस आदि के स्थान पर पारम्परिक मिट्टी के उपयोग को प्रोत्साहित, अनुमत और प्रवर्तित किया जाना चाहिए।

ii. मूर्तियों की रंगाई को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। यदि किसी मामले में मूर्तियों को रंगा जाना हो तो, जल में घुलनशील और गैर विषाक्त प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाना चाहिए। मूर्तियों को रंगने के लिए विषैले और गैर-जैवअवक्रमणीय रासायनिक रंगों का उपयोग सख्ती से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

iii. मूर्तियों को विसर्जित करने से पूर्व पूजा सामग्री जैसे फूल; *वस्त्र* (पोशाकें), सजावट की सामग्री (कागज और प्लास्टिक की बनी हुई) इत्यादि को हटा देना चाहिए। जैव अवक्रमण सामग्री को पुनर्चक्रण अथवा कम्पोस्टिंग हेतु पृथक रूप से एकत्रित किया जाना चाहिए। जैव रूप से अवक्रमण न हो सकने वाली सामग्रियों को सैनेटरी पाटन स्थलों पर निपटाने के लिए पृथक रूप से एकत्रित किया जाना चाहिए। पोशाकों को स्थानीय अनाथाश्रमों में भेजा जा सकता है।

iv. जनता को जन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से पवित्र जल निकायों में मूर्ति-विसर्जन के दुष्प्रभावों के विषय में शिक्षित किया जाना चाहिए।

v. 'मूर्ति विसर्जन स्थलों' की घेराबंदी और बेरिकेडिंग की जानी चाहिए। पहले से ही तल में कृत्रिम लाईन लगाई जा सकती है। मूर्ति विसर्जन के समारोह के समापन पर उक्त लाईनर को हटाया जाना जाए ताकि मूर्तियों के अवशेषों को तटों पर लाया जा सके। बांस और लकड़ी के शहतीरों, यदि कोई हो, का पुनर्प्रयोग किया जाए। मिट्टी आदि को निपटान हेतु सैनेटरी पाटन भूमि पर ले जाया जा सकता है।

vi. संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति विशेष रूप से श्रेणी-। शहरों (एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों) में जल निकायों की जल गुणवत्ता का आकलन। तीन अवस्थाओं में अर्थात मूर्ति विसर्जन से पहले, मूर्ति विसर्जन के दौरान और मूर्ति विसर्जन के बाद कराए।

vii. सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को संबंधित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में स्थानीय और शहरी निकायों आदि में सीपीसीबी द्वारा परिचालित दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराना आवश्यक है।

सीपीसीबी के दिशानिर्देशों के अनुसार, कर्नाटक राज्य की सरकार ने मूर्ति बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) के उपयोग को निषिद्ध करते हुए दिनांक 20 जुलाई 2016 को निदेश जारी किए हैं। दिल्ली सरकार ने वर्ष 2018 के दौरान दिल्ली में सभी संबंधित अभिकरणों को मूर्ति के पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल विसर्जन हेतु कृत्रिम तालाब, सृजित करने और गणेश पूजा और दुर्गा पूजा दोनों अवसरों पर विसर्जन कार्यकलाप को प्रतिबंधित करने के निदेश दिए। व्यवस्थाएं करने के लिए विभिन्न विभागों और जिला प्रशासन की ड्यूटी लगाई गई थी।

आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल राज्य की सरकारों ने इस संबंध में निम्नलिखित अनुदेश भी जारी किए हैं:

i. पारिस्थितिकीय रूप से अनुकूल सामग्री के संयोजन से चिकनी मिट्टी का उपयोग करने के लिए प्रस्ताव किया।

ii. कागज लुगदी, धातु, लकड़ी, वानस्पतिक रेशों, पत्थरों आदि जैसे वैकल्पिक रूप से पुनर्चक्रणीय सामग्री का उपयोग करने की सिफारिश की गई, जिन्हें आसानी से विघाटित/पुनर्प्रयोग/पुनर्चक्रित किया जा सके।

iii. Hg, Pb, Cd, Ni, Zn आदि जैसी धातु युक्त रंगों का प्रयोग प्रतिबंधित किया।

iv. प्रमाणित पारिस्थितिकीय रूप से अनुकूल प्राकृतिक और / अथवा जैव अवक्रमीणय रंगों के उपयोग का संवर्धन, जो गैर विषैले, जल में घुलनशील और खतरनाक धातुओं से युक्त हैं।

v. खाद्य उत्पादों में प्रयुक्त और फार्मास्यूटीक्ल्स में अनुमत किए गए प्राकृतिक रंगों के उपयोग को वरीयता दी जा सकती है।

vi. सजावट करने हेतु पुनर्चक्रणीय और / अथवा जैव अवक्रमणीय सामग्री का उपयोग करने की सिफारिश की गई है।

vii. गीली मिट्टी से मूर्तियों का निर्माण करने के लिए गैर सरकारी संगठनों और बड़े पैमाने पर मूर्ति के निर्माण करने वालों के बीच विचार विमर्श।

(ग) और (घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मूर्ति विसर्जन से संबद्ध पर्यावरणीय मुद्दों का समाधान करने के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उनकी समीक्षा करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में नीरी और केन्द्रीय जल आयोग जैसे तकनीकी संस्थानों और अन्य संबंधित विभागों से विचार-विमर्श किया गया है।

****